

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत (1)श्री किटेश्वर कुमार यादव पिता- श्री वितन यादव, (2) श्री अर्जुन यादव पिता- श्री चमन यादव , ग्राम- आरा, थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातू , थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) थाना सं. 55 (रैयती भूमि) खाता सं. 145, प्लॉट सं. 736, 793, 885, 849, 1221, 1282, 1617, 962, 989, 1210, 1214, 1219, 958, 959, 960, 964, 735, 965, 967, 969, 980, 982, 886, 909, 936, 937, 939, 1628, 1847, 1854 & 1898 कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम: चमातू, थाना: बालुमथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातू , थाना: बालुमथ जिला : लातेहार (झारखण्ड) थाना सं: 55 (रैयती भूमि) खाता सं. 145, प्लॉट सं. 736, 793, 885, 849, 1221, 1282, 1617, 962, 989, 1210, 1214, 1219, 958, 959, 960, 964, 735, 965, 967, 969, 980, 982, 886, 909, 936, 937, 939, 1628, 1847, 1854 & 1898. कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के तहत (1) श्री किटेश्वर कुमार यादव पिता- श्री वितन यादव, (2) श्री अर्जुन यादव पिता- श्री चमन यादव , ग्राम- आरा, थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम: आरा , थाना: बालुमथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है ।

विरेश कुमार
१५/११/२०२२